

न्यायालय: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश—सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या— 567 / 2026
महलगांव थाना कांड संख्या— 22 / 2026

मो0 आलम एवं 03 अन्य..... आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

27.05.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण 1.मो0 आलम, 2.इमरान, 3.रूखसार एवं 4.इजहार की ओर से महलगांव थाना कांड संख्या 22 / 2026 के संदर्भ में दाखिल किया गया।

उपरोक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना किया गया कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने के आधार पर **गुण—दोष पर विचार किए बिना खारिज** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।